न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 31/2025

सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत उम्र 67 वर्ष निवासी ग्राम सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)

.....वादी.....

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. कालूराम पुत्र खुमाराम नाई निवासी ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा जिला–जोधपुर (राजस्थान)
3. छैलुसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत निवासी ग्राम सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू (राज स्थान)
4. भैरूसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत निवासी ग्राम सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
5. भवानीसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत निवासी ग्राम सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
6. मूलसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत निवासी ग्राम सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
7. श्रीमान् शाखा प्रबधंक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कातर छोटी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

.....प्रतिवादीगण.....

दावा घोषणात्मक

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धनसिंह राठौड़, महावीरसिंह राठौड़ वादी की ओर से व
(2) प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के विरूद्ध एक पक्षीय, प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 उपस्थित
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक :30.4.25

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम खाता संख्या 322 (तीन सौ बाईस) नया व पुराना 78 (अठहत्तर) खेत खसरा संख्या 491 (चार सौ इकरान्वे) भूमि तादादी 13.1649 (तेरह प्वॉईंट एक छः चार नो) हैक्टेयर व खाता संख्या 78 (अठहत्तर) नया व पुराना 80 (अस्सी) खेत खसरा संख्या 465 (चार सौ पैंसठ) भूमि तादादी 8.5363 (आठ प्वॉईंट पांच तीन छः तीन) हैक्टेयर वाके रोही सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान मे वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 (दो) ता 6 (छः) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग मे चली आ रही है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्त खसरेजात की भूमि की खातेदारी वादी सम्भुसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत के नाम से राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी चली आ रही है जो अशुद्ध है वादी के पिता नारायणसिंह का स्वर्गवास हुआ उस वक्त राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश वादी का नाम सम्भुसिंह पुत्र नारायणसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी का शुद्ध नाम सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह था। वादी के नाम से आधार कार्ड है उक्त आधार कार्ड मे वादी का नाम सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है तथा वादी के पास अन्य दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड संख्या 200001998906 में वादी सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह, पेन कार्ड संख्या TAMPS5716N में वादी सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र संख्या RJ/03/016/612457 में वादी सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह, बैंक पास बुक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ईयारा खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

48548100004047 में वादी सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह, बैंक पास बुक दी चूरू सैण्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰ शाखा बीदासर खाता संख्या 20008105740012784 में वादी सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह, रोजगार तालिका कार्ड संख्या 50454207 में वादी सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह, आदि दस्तावेजात मे है। उक्त सभी दस्तावेजात में वादी का नाम सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है जो सही व शुद्ध नाम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम सम्भुसिंह पुत्र नारायणसिंह अशुद्ध होने के कारण वादी वर्तमान गलत राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर वादी अपना सही व शुद्ध नाम सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह की घोषणा करवाने का अधिकारी है। गलत राजस्व रेकॉर्ड के रहते हुये वादी को अपूर्तिय क्षति होगी और वादी को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 10.02.2025 (दस फरवरी सन् दो हजार पच्चीस) को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे मेरा जो गलत व अशुद्ध सम्भुसिंह पुत्र नारायणसिंह नाम दर्ज है को सही व दुरूस्त कर सही नाम सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। जिस पर वादी ने दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर कियां गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पंजीकृत डाक से तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 2 व 7 न्यायालय में उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने दिनांक 28.04.2025 को न्यायालय में राजीनामा पेश किया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। राजपैरोकार ने अपना जबाब राज्य हित निहित नहीं होना पेश (अंकित) किया।

बहस अंतिम सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये क़थन किया कि वादी का शुद्ध व सही नाम दस्तावेजात के आधार पर सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह है जो उक्त दस्तावेजात से साबित है, वादी का दावा डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्षमता से अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह साबित है कि वादी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सम्भुसिंह पुत्र नारायणसिंह अशुद्ध नाम है, वादी का शुद्ध व सही नाम सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह नाम की घोषणा वादी राजस्व रेकॉड में करवाने का अधिकारी है। वादी का घोषणात्मक दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का घोषणात्मक दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खाता संख्या 322, खेत खसरा नंबर 491 व खाता संख्या 78, खेत खसरा नंबर 465 वाके रोही सडूबड़ी के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का सम्भुसिंह पुत्र नारायणसिंह अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30-4-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

सिमर सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक

राजस्व वाद संख्या :– 31/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री गोर्वधनसिंह राठौड़, महावीरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 2 व 7 के विरूद्ध एक तरफा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 उपस्थित मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वर्तमान खाता संख्या 322, खेत खसरा नंबर 491 व खाता संख्या 78, खेत खसरा नंबर 465 वाके रोही सडूबड़ी के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का सम्भुसिंह पुत्र नारायणसिंह अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम सिमर सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा
इस मुकदमें के मय सुद व शरह .....फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .....को
अदा करें।
बसबूत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30-5-25

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

ओहदा.....

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)